**भारत सरकार**

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं0 2526**

**दिनांक 08 अगस्‍त, 2018**

**नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति**

**2526. श्री आर॰ वैद्यलिंगमः**

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा घोषित नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एनईएलपी) से राज्य को राजस्व बढ़ाने में मदद मिलेगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार द्वारा घोषित नई नीति देश में व्यवसाय को आसान बनाने में भी मददगार होगी;

(घ) क्या सरकार कुछ ऐसे प्रस्तावों पर कार्य कर रही है जिनमें विलंब तथा विवेकाधिकार को कम करके व्यवसाय को आसान बनाने में मदद मिलने की सुगमता में सुधार की अपेक्षा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री**

**(श्री धर्मेन्द्र प्रधान)**

(क) और (ख): अन्‍वेषण और उत्‍पादन (ईएंडपी) क्षेत्र में विदेशी, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को एक समान अवसर उपलब्‍ध कराने और निवेश तथा प्रौद्योगिकी को आकर्षित करने के लिए नई अन्‍वेषण और लाइसेंसिंग नीति (एनईएलपी) दिनांक 10 फरवरी, 1999 में अधिसूचित की गई थी। स्‍थानीय करों/उगाहियों के अलावा रायल्‍टी और लाभ पेट्रोलियम के रूप में सरकारी राजस्‍व का सृजन एनईएलपी ब्‍लॉकों में उत्‍पादित कच्‍चे तेल और गैस से होता है। मार्च, 2018 तक, केन्‍द्र/राज्‍य सरकार को रायल्‍टी के रूप में 3629.13 करोड़ रुपए और लाभ पेट्रोलियम के लिए 1362.01 करोड़ रुपए प्राप्‍त हुए हैं।

(ग) से (ड.): विलंब और विवेकाधीन शक्‍तियों को कम करते हुए कारोबार में सरलता लाने के उद्देश्‍य से हाल ही में सरकार द्वारा की गई महत्‍वपूर्ण नीतिगत पहलों में निम्‍नलिखित पहलें शामिल हैं:

(i) उत्‍पादन हिस्‍सेदारी संविदाओं के तहत प्रचालनों को व्‍यवस्थित बनाना, समय-सीमा में छूट देना और महानिदेशक, हाइड्राकार्बन महानिदेशालय (डीजी, डीजीएच) को शक्‍तियों का प्रत्‍यायोजन करना जिसमें निम्‍नलिखित शामिल हैं (क) बैंक गारंटी को प्रस्‍तुत करने को ध्‍यान में रखते हुए समाप्‍त नहीं किए गए न्‍यूनतम कार्य कार्यक्रम के लिए देय धनराशि संबंधी समाधान लंबित रहने के बावजूद अगले अन्‍वेषण चरण में प्रवेश करने की अनुमति देना; (ख) मूल्‍यांकन हेतु संविदा क्षेत्र से अधिक क्षेत्र विस्‍तार की मंजूरी प्रदान करना; (ग) उत्‍पादन हिस्‍सेदारी संविदाओं के तहत डीजी, डीजीएच को शक्‍तियां प्रत्‍यायोजित करना।

(ii) हाइड्राकार्बन संसाधनों के वृद्धिपरक घरेलू उत्‍पादन के लिए एनईएलपी पूर्व और एनईएलपी ब्‍लॉकों के संबंध में उत्‍पादन हिस्‍सेदारी संविदाओं (पीएससीज) की कार्यप्रणाली को व्‍यवस्थित बनाना जिसमें निम्‍नलिखित शामिल हैं (क) भागीदारी हित के अनुपात में रायल्‍टी और उपकर की हिस्‍सेदारी; (ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र में अन्‍वेषण कार्यकलापों के लिए अतिरिक्‍त दो वर्ष और मूल्‍यांकन कार्यकलापों के लिए अतिरिक्‍त एक वर्ष प्रदान करना; (ग) अपरिहार्य स्थिति में नोटिस अवधि को 7 दिनों से 15 दिनों तक बढ़ाने की अनुमति देना; और (घ) आयकर अधिनियम,1961 की धारा 42 के तहत कर लाभ बढ़ाना।

(iii) गैर-परंपरागत हाइड्रोकार्बन जैसे कि उत्‍पादन हिस्‍सेदारी संविदाओं (पीएससीज), कोल बेड मीथेन (सीबीएम) संविदाओं और नामांकन

देना।

\*\*\*\*